



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 783 /अका./का.प/2019

रायपुर, दिनांक 30/07/2019

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक गुरुवार, दिनांक 25.07.2019 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

- | | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 1. डॉ. बशीर हसन | – सदस्य | 5. डॉ. एच.के. पाठक | – सदस्य |
| 2. डॉ. (श्रीमती) वासु वर्मा | – सदस्य | 6. डॉ. नरेन्द्र पटनायक | – सदस्य |
| 3. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ | – सदस्य | 7. श्री एस.के. चक्रवर्ती | – सदस्य |
| 4. डॉ. संजय कुमार | – सदस्य | | |

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.05.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.05.2019 के विषय क्रमांक 7 में आंशिक संशोधन करते हुए डॉ. ओ.पी. वर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को स्वामी विवेकानंद चेरर प्रोफेसर के पद पर दिनांक 26.05.2019 तक सेवा वृद्धि करते हुए सम्पुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.05.2019 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.06.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. सत्र 2018-19 में महाविद्यालयों को प्रदान किये जाने वाली सब्सिडी राशि रु. 5,72,000=00 (पाँच लाख बहत्तर हजार रुपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : सत्र 2018-19 में महाविद्यालयों को अंतरमहाविद्यालय एवं सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि रु. 5,72,000/- (पाँच लाख बहत्तर हजार रुपए) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. क्रीडा समिति के नये सदस्यों के मनोनयन का अनुमोदन करना।
निर्णय: संचालक, शारीरिक शिक्षा, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 04/शा.शि.वि./2019 दिनांक 06.07.2019 के द्वारा प्रस्तावित निम्नांकित दो सदस्यों के नाम क्रीडा समिति के सदस्य के रूप में अनुमोदन किया गया एवं अन्य सदस्यों के नामों की सूचना ग्रहण की गई।

S.No.	Category	Status	प्रस्तावित नाम
4	Two Persons of whom atleast one shall be non-teaching appointed by the Executive Council.	Member	1. Mr. Jitendra Vegad, Runji Trophy Player, Raipur 2. Mr. Sudhir Verma, Coach Netball Guru Hanuman Awadi, Raipur

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. सेमेस्टर परीक्षा बी.एड./एम.एड./पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए. मई-जून परीक्षा 2019 के सुचारु संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों को राशि रु. 9,23,000=00 (रु. नौ लाख तेईस हजार मात्र) अग्रिम राशि भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. कचरा (Disposal) के लिए वाहन क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत 3.35 लाख रुपए (रु. तीन लाख पैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

8. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 24वाँ दीक्षांत समारोह के लिए किराया भंडार का देयक राशि रु. 5,76,784=00 (पाँच लाख छिहत्तर हजार सात सौ चौरासी रुपए मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. विश्वविद्यालय प्रेस के उन्नयन हेतु गठित समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना। नई प्रिंटिंग मशीनों का क्रय करने की रु. 20.00 लाख (बीस लाख रुपए) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : समिति की अनुशंसानुसार -

- (1) सिंगल कलर ऑफसेट मशीन 18x25 आकार की सीधे HMT कंपनी से क्रय की कार्यवाही,
- (2) डिजिटल कलर प्रिंटर - Konica Minolta Bizhub C759 मॉडल, मशीन क्रय करने एवं अनुमानित व्यय राशि रु. 20.00 लाख (रुपए बीस लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. विश्वविद्यालय में 6 से 10 अगस्त 2019 को 19वाँ इंस्पायर इंटरनैशनल कैंप के आयोजन हेतु DST ने रुपये 13,00,000/- बजट की स्वीकृति दी है। कार्यक्रम का कुल प्रस्तावित बजट राशि रु. 16,25,000/- (अक्षरी सोलह लाख पच्चीस हजार रुपए) का है, जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

11. खिलाड़ियों, मैनेजरों एवं कोचों को पुरस्कार राशि रु. 5,15,000=00 (पाँच लाख पंद्रह हजार रुपए मात्र) प्रदान किये जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान करना।
निर्णय : सत्र 2018-19 में पूर्वी क्षेत्रीय/अखिल भारतीय अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में क्रमशः प्रथम, द्वितीय/प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों तथा कोच एवं मैनेजर को पुरस्कार की कुल राशि रु. 5,15,000/- (रु. पाँच लाख पंद्रह हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. डॉ. (श्रीमती) विजया कोचे, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला के अर्जित अवकाश स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. (श्रीमती) विजया कोचे, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला के आवेदन दिनांक 27.05.2019 में अग्रिम उपचार हेतु दिनांक 18.06.2019 से 17.10.2019 तक 04 महिने की अर्जित अवकाश प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।

13. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-4/2018/38-2 दिनांक 31.05.2019 के द्वारा समयमान वेतनमान का अनुमोदन प्रदान करने विषयक कार्योत्तर सहमति प्रदान करने की सूचना ग्रहण करना एवं छ.ग. शासन का वित्त निर्देश 43/2018 वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन का पत्र क्रमांक 401/एल 2018-71-00727/वित्त/नियम/चार दिनांक 8.8.2018 को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-4/2018/38-2 दिनांक 31.05.2019 के द्वारा समयमान वेतनमान का अनुमोदन प्रदान करने विषयक कार्योत्तर सहमति प्रदान करने की सूचना ग्रहण की गई एवं छ.ग. शासन का वित्त निर्देश 43/2018 वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन का पत्र क्रमांक 401/एल 2018-71-00727/वित्त/नियम/चार दिनांक 8.8.2018 को अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

अध्यापक शिक्षक संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर के निकट, कुकुरबेड़ा, रायपुर को गोद लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. महाविद्यालय के निरीक्षण समिति हेतु नियुक्त सदस्यों के सीटिंग फीस रु. 1000/- से बढ़ाकर रु. 1500/- किये जाने के संबंध में।

निर्णय : समस्त महाविद्यालयों के लिए गठित निरीक्षण समिति के सदस्यों के लिए प्रस्तावित सीटिंग फीस रु. 1000/- से बढ़ाकर रु. 1500/- (रु. पंद्रह सौ मात्र) किए जाने का अनुमोदन किया गया।

16. सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा-राजिम, जिला-रायपुर के प्राचार्य पद पर द्वितीय कार्यकाल वृद्धि के संबंध में।

निर्णय : सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा-राजिम, जिला-रायपुर के प्राचार्य पद के लिए डॉ. शोभा गावरी के द्वितीय कार्यकाल वृद्धि का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषय सूची

1. सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की अस्थाई मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

2. शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की अस्थाई मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

3. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों की रख-रखाव वर्ष 2019-20 के लिए राशि रूपए-21,31,329.00 (इक्कीस लाख इकतीस हजार तीन सौ उन्तीस मात्र) व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उद्यानों के रख-रखाव हेतु सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख उद्यान रायपुर उद्यानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु. 21,31,329.00 (रु. इक्कीस लाख इकतीस हजार तीन सौ उन्तीस मात्र) व्यय का अनुमोदन किया गया।

4. अध्यापक शिक्षा संस्थान के सेमीनार हॉल के लिए ए.सी. एवं चैयर क्रय किये जाने हेतु राशि रूपये-6,25,000.00 (छः लाख पच्चीस हजार) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अध्यापक शिक्षा संस्थान के सेमीनार हॉल के लिए 08 नग ए.सी. एवं 150 नग चैयर क्रय हेतु अनुमानित व्यय राशि रूपये-6,25,000.00 (रु. छः लाख पच्चीस हजार) वित्तीय वर्ष 2019-20 में आबंटित स्व-वित्तीय मद C-VII/5 office Automation मद से किए जाने की स्वीकृति दी गई।

5. कम्प्यूटर अध्ययन शाला Wi-Fi इन्फ्रास्ट्रक्चर भुगतान राशि रूपये-12,71,215/- (रूपए बारह लाख इकहत्तर हजार दो सौ पन्द्रह) की स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : M/s Benzfab Technologies Pvt. Ltd. Bhabaneswar, Odisha को विश्वविद्यालय के कार्यादेश क्र. 19/CS/RSU-CAN दिनांक 04.01.2016 के अनुक्रम में कम्प्यूटर अध्ययनशाला Wi-Fi इन्फ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध प्रस्तुत देयक -

क्रमांक	बीजक क्रमांक एवं दिनांक	विवरण	कुल राशि
1	284 / 15-16, दि. 24.02.2016	सामग्री	9,94,654.00
2	320 / 16-17, दि. 31.01.2017	सामग्री	72,965.00
3	317 / 16-17, दि. 31.01.2017	Installation	2,03,596.00
कुल राशि (बारह लाख इकहत्तर हजार दो सौ पन्द्रह)			12,71,215.00

कुल राशि रूपए-12,71,215/- (रूपए बारह लाख इकहत्तर हजार दो सौ पन्द्रह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. राज्य शासन की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में संशोधन। (प्रसूति अवकाश के संबंध में)

निर्णय : छ.ग. राजपत्र आसाधारण अधिकार से प्रकाशित गुरुवार, दिनांक 20.09.2018 छत्तीसगढ़ विविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में संशोधन - प्रसूति अवकाश का अनुमोदन किया गया एवं विश्वविद्यालय विनियम 122 के कंडिका 8 के उप कंडिका (ड) के पश्चात् कंडिका (ढ) निर्मित कर 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति जो भी पहले हो के लिये प्रसूति अवकाश (संवैतनिक) जोड़े जाने की अनुमति दी गई।

7. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई. खान, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, भूविज्ञान अध्ययन शाला के अवकाश समर्पण के नगदीकरण की राशि रूपए-18,46,896/- (अठारह लाख छियालीस हजार आठ सौ छियान्चे) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

8. वर्ष 2017 में नियुक्त निम्नलिखित शिक्षकों की स्थायीकरण के संबंध में विचार करना।

क्र.	नाम	पदनाम	पदभार ग्रहण तिथि	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. कमलेश श्रीवास	एसोसिएट प्रोफेसर	10.03.2017	10.03.2019
2	श्री इन्द्रपाल करभाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	27.02.2017	27.02.2019
3	डॉ. गिरजा शंकर गौतम	असिस्टेंट प्रोफेसर	24.05.2017	24.05.2019
4	डॉ. श्रीमती वीनु जोशी	असिस्टेंट प्रोफेसर	24.05.2017	24.05.2019
5	डॉ. शिवेन्द्र सिंह देवहरे	असिस्टेंट प्रोफेसर	01.06.2017	01.06.2019
6	डॉ. मनोज कुमार पटेल	असिस्टेंट प्रोफेसर	05.06.2017	05.06.2019

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

9. रसायन अध्ययनशाला के लिए उपकरण (CHNSO Analyzer) क्रय हेतु राशि रूपए-25,97,120/- (पच्चीस लाख संतानबे हजार एक सौ बीस) केंद्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया। रसायन अध्ययनशाला के लिए CHNSO Analyzer क्रय करने हेतु केंद्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार M/s Thermo Fischer India Ltd का भाव-पत्र रूपए 25,97,120/- (रु. पच्चीस लाख संतानबे हजार एक सौ बीस मात्र) का अनुमोदन किया गया।

10. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.06.2015 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर-3, तहसील व जिला रायपुर द्वारा भूमि चिन्हांकित की गई है। यह विश्वविद्यालय के बांऊड़ीवाल के अंदर आ गई थी। विश्वविद्यालय परिसर से लगी हुई जमीन डूमरतालाब स्थित खसरा नंबर-496/1, रकबा-0.295 हेक्टेयर एवं 496/2, रकबा-0.729 हेक्टेयर कुल-1.024 हेक्टेयर जमीन ओम प्रकाश अग्रवाल वल्द आर. आर. अग्रवाल को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वापस किए जाने पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

11. वार्षिक परीक्षा 2019 (मार्च-अप्रैल 2019) का कुल देयक 26,93,246/- (रुपए छब्बीस लाख तिरानबे हजार दो सौ छियालीस मात्र) प्रश्न-पत्रों के गोपनीय मुद्रण कार्य के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

12. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.07.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.07.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

13. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को 2nd International Conference on "Fostering Interdisciplinary Research in Health Sciences 2019" दिनांक 14-15 सितंबर 2019 को मलेशिया में आयोजित है, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में सम्मिलित होने संबंधी जानकारी कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत। (इस हेतु वि.वि. को किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय भार नहीं होगा)

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

14. श्रीमती पी.जी. डागा कन्या महाविद्यालय, घड़ी चौक रायपुर के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : पूरे प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया जाए।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय


01. कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति के लिए गठित चयन समिति के द्वारा दिनांक 20.02.2019, 27.06.2019 एवं 22.07.2019 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा संबंधी लिफाफे खोले गए तथा पदोन्नति हेतु अनुशंसा निम्नानुसार मान्य किया गया –

S-E. Committee Meeting Date	Subject	Post	Name	With Effect From
20-02-2019	Hindi	Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. Madhulata Bara	23-11-2016
27-06-2019	Library	Assistant Librarian Stage 1 to 2 (CAS)	Dr. Purnima Kumari	21-11-2017
22-07-2019	Pharmacy	Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. Deependra Singh	22-12-2017
		Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. (Smt.) Manju Singh	22-12-2017
		Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. Amber Vyas	22-12-2017
		Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. Vishal Jain	24-12-2017

02. अधिवक्ता पैनल के नाम पर विचार करना।
निर्णय : अधिवक्ता पैनल के नाम निर्देशन हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 784 / अका. / का.प. / 2019
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 30 / 07 / 2019

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)